



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122021-232011
CG-DL-E-20122021-232011

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4918]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2021/अग्रहायण 29, 1943

No. 4918]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2021/AGRAHAYANA 29, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5309(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का.आ.- 4078 (अ) दिनांक 12 नवंबर, 2020 भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) 4078 (अ) दिनांक 12 नवंबर, 2020 के दिनांकित में निम्ननांकित संशोधन करती है।

अधिसूचना संख्या का.आ. 4078(अ) दिनांक 12 नवंबर, 2020) में

संशोधित

सक्षम प्राधिकारी - उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई

सक्षम प्राधिकारी -जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, जमुई

नोट : बिहार राज्य के अध्याप्ति नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333 सी श्रवण (बिहार और झारखंड सीमा) से चकई (बिहार) तक के भूमि अधिग्रहण के लिए उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के जगह पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जमुई पढ़ा जाये।

अनुसूची

भूमि अध्याप्ति नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333 सी श्रवण (बिहार और झारखंड सीमा) से चकई (बिहार)

इस परियोजना के सक्षम प्राधिकारी के परिवर्तन के कारण

[फा. सं. RW/PAT/NH/333C/SARWAN TO CHAKAI/2020/Corr]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th December, 2021

S.O. 5309(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 4078 (E), dated the 12th November, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii) dated the S.O. 4078 (E), 12th November, 2020 namely:

In the said notification (S.O. 4078 (E) dated the 12th November 2020)

Amended

Competent Authority- Deputy Collector Land Reforms Jamui

Competent Authority- District Land Acquisition Officer Jamui

Note : District Land Acquisition Officer, Jamui Nominated in place of Deputy Collector Land Reforms, Jamui for Land acquisition stretch from Sarwan (Bihar & Jharkhand Border) to Chakai (Bihar) (Newly Declared National Highway - 333C) in the State of Bihar.

SCHEDULE

Land acquisition stretch from Sarwan (Bihar & Jharkhand Border) to Chakai (Bihar) (Newly Declared National Highway - 333C) in the State of Bihar.

Due to change of competent authority of this project

[F. No. RW/PAT/NH/333C/SARWAN TO CHAKAI/2020/Corr]

RAJESH GUPTA, Director